

27¹¹/₉

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ उपस्थित नहीं। अपीलार्थ को बार-बार आवाज लगावाई गई। अपीलार्थ या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली अंमल हाजरी, अडमपैरवी में खारिज की जाती है। निवृत्ति की उमावृत्ति प्राप्ति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुद्ध होकर बाद तदधीन उपस्थित दफ्तर हो।



जिला कलक्टर
करौली-

